स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट, 2023

सन्दर्भ: अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट द्वारा हाल ही में "स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023" रिपोर्ट जारी की गई।

- इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2004 - 2018 के बीच, उन बेटों की आर्थिक गतिशीलता में वृद्धि हुई है, जिनके पिता आकस्मिक वेतन वाले रोजगार में लगे हुए थे।
- विशेष रूप से, सामान्य जाति के लोगों की तुलना में अनुसूचित जाति (SC) के श्रमिकों के लिए यह ऊर्ध्वाधर गतिशीलता की कमजोर प्रवृत्ति दर्शाती है।
- रिपोर्ट के अनुसार एक ही घर में बेरोजगार सास होने से विवाहित महिलाओं के नियोजित होने की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है।
- इसके विपरीत, बिना सास वाले घरों की तुलना में नौकरी पेशा सासों की उपस्थिति का इस संभावना पर अपेक्षाकृत मामूली प्रभाव पड़ता है।
- यह रिपोर्ट भारत के श्रम बाजार में प्रमुख रुझानों को उजागर करने के लिए रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण सहित राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जैसे डेटा स्रोतों पर निर्भर करती है।

मुख्य निष्कर्ष

- **रोजगार में जाति-आधारित रुझान (1983-2021):**
  - 1983 और 2021 के बीच, अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के नियमित वेतन श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि हुई है, लेकिन यह सामान्य जाति ("अन्य") की तुलना में काफी कम है।
  - 2021 में, अनुसूचित जाति के 22% श्रमिकों की तुलना में सामान्य जाति के 32% श्रमिक नियमित वेतन रोजगार में थे।
  - सामान्य जाति के श्रमिक भी अनुसूचित जाति के श्रमिकों की तुलना में स्व-रोज़गार की उच्च दर प्रदर्शित करते हैं।
  - रिपोर्ट बताती है कि बड़े उद्यमों में सामान्य जातियों का प्रतिनिधित्व अधिक है।
- **जाति द्वारा आर्थिक गतिशीलता (2004-2018):**
  - 2004 (86.5%) की तुलना में 2018 में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आकस्मिक वेतन वाले कामकाजी पिता के बेटों के आकस्मिक वेतन वाले काम पर बने रहने (75.6%) में कमी देखी गई।
  - सामान्य जाति के आकस्मिक वेतन पर काम करने वाले पिताओं के बेटों की संख्या में गिरावट देखी गई है, जो 2004 में 83.2% से घटकर 2018 में 53% हो गई है।
  - इससे पता चलता है, कि एससी/एसटी की तुलना में सामान्य जाति के आकस्मिक वेतन श्रमिकों के लिए आर्थिक अंतर-पीढ़ीगत गतिशीलता अधिक महत्वपूर्ण रही है।
  - 2004 और 2018 के बीच, आम तौर पर आकस्मिक वेतन श्रमिकों के बेटे, आकस्मिक वेतन के काम से हटकर अनौपचारिक, अर्ध-औपचारिक और औपचारिक नियमित वेतन रोजगार में स्थानांतरित हो गए हैं।
- **उद्योगों में महिलाओं और अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व (1983-2021):**
  - 1983 से 2021 के बीच तंबाकू, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य और कपड़ा जैसे उद्योगों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई है।
  - हालांकि, इन क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी अधिक है।
  - अपशिष्ट प्रबंधन और सीवरेज तथा चमड़ा उत्पाद जैसे उद्योगों में एससी प्रतिनिधित्व में गिरावट आई है।
  - कुछ उद्योगों में अभी भी अन्य जातियों की तुलना में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व अधिक है।
- **पति की कमाई और महिला के रोजगार के बीच संबंध:**
  - वर्तमान समाज में रोजगार संबंधी "पुरुष कमाने वाला" मानदंड स्पष्ट है, क्योंकि पति की आय में वृद्धि से पत्नी के नियोजित होने की संभावना कम हो जाती है।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में, पति की आय बढ़ने के साथ संभावना में यह गिरावट धीमी हो जाती है।
  - शहरी क्षेत्रों में, यू-आकार का पैटर्न है, जिसमें रुपये की आय सीमा तक पत्नी के नियोजित होने की संभावना कम हो जाती है।
  - यह पैटर्न उच्च आय वर्ग में बेहतर शिक्षित पत्नियों से प्रभावित है जिनके पास बेहतर वेतन वाले काम तक पहुंच है।
- **शिक्षा द्वारा महिला कार्यबल भागीदारी (2021-22):**
  - ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों की तुलना में शिक्षा के सभी स्तरों पर महिलाओं की कार्यबल भागीदारी दर अधिक है।
  - जैसे-जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता है, शहरी महिलाओं की कार्यबल भागीदारी दरें यू-आकार की प्रवृत्ति का अनुसरण करती हैं, जो उच्च वेतन और रोजगार के अवसरों को इंगित करती हैं जो उन्हें कार्यबल में आकर्षित करती हैं।
  - ऐसी नौकरियों की मांग अधिक है, लेकिन आपूर्ति बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
- **गैर-कृषि रोजगार में बदलाव (1980 से 2021):**
  - 1980 के दशक के बाद से, गैर-कृषि क्षेत्रों में श्रमिकों की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2021 में 19.8% तक पहुंच गई है। इससे पहले 2010 के अंत में यह आंकड़ा 20.3% था।
  - कृषि छोड़ने वाले श्रमिकों ने ज्यादातर आकस्मिक मजदूरी या निर्माण या सेवाओं में अनौपचारिक नियमित मजदूरी का काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि संगठित और वेतनभोगी क्षेत्रों में स्थिर वृद्धि देखी गई है।
- **शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी:**
  - 25 वर्ष से कम उम्र के स्नातकों में समान आयु वर्ग के सभी शिक्षा स्तरों के बीच बेरोजगारी दर सबसे अधिक है।
  - शिक्षा का स्तर घटने से बेरोजगारी दर घट जाती है।
  - जैसे-जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है रोजगार की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि बेरोजगारी अस्थिर हो जाती है।
  - महामारी-पूर्व स्तर की तुलना में कम बेरोजगारी दर के बावजूद, 15% से अधिक स्नातक बेरोजगार हैं।

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

22 September, 2023

उपाध्यक्षों का पैनल

संदर्भ: राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उच्च सदन में पूरी तरह से 13 महिला उपाध्यक्षों वाला एक पैनल स्थापित किया है।

- राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में उपाध्यक्षों का महिला पैनल बनाया है।
- इस पैनल में राज्यसभा की 13 महिला सदस्य शामिल हैं और इसे महिला आरक्षण विधेयक के आलोक में स्थापित किया गया है।
- इस पैनल का गठन विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि राज्यसभा वर्तमान में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा कर रही है, जिसे "**नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023**" कहा जाता है।

यह क्या है?

- राज्यसभा के नियमों के अनुसार, सभापति सदस्यों में से उप-सभापतियों के एक पैनल को नामित करने के लिए जिम्मेदार है।
- सभापति या उपसभापति के अनुपस्थित होने पर इस पैनल का कोई भी सदस्य सदन की अध्यक्षता की भूमिका निभा सकता है।
- अध्यक्षता करते समय, उपाध्यक्ष के पास अध्यक्ष के समान ही शक्तियाँ होती हैं।
- उनका कार्यकाल तब तक रहता है जब तक कि उपाध्यक्षों का एक नया पैनल नामांकित नहीं हो जाता।
- यदि पैनल का कोई भी सदस्य उपलब्ध नहीं है, तो सदन किसी अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नामित करता है।
- ध्यान देने योग्य बात यह है, कि सभापति और उपसभापति दोनों पद रिक्त होने पर, उपसभापति पैनल का कोई सदस्य सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता है।
- ऐसी परिस्थितियों के दौरान, राष्ट्रपति सभापति के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सदन के एक सदस्य को नियुक्त करता है।
- किसी भी रिक्त पद को भरने के लिए तुरंत चुनाव आयोजित किये जाते हैं।

राज्य सभा के सभापति

- उपराष्ट्रपति अपने पद के आधार पर राज्य सभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं।
- राज्यसभा का सभापति सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा को बरकरार रखता है।

संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति को राज्य सभा के पदेन सभापति के रूप में नामित करता है।
- अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के लिए संवैधानिक ढांचे की रूपरेखा बताता है।

शक्ति और कार्य:

- कोरम पूरा न होने की स्थिति में सभापति राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित या निलंबित कर सकते हैं।
- संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार, अध्यक्ष दलबदल के कारण अयोग्यता के मामलों का फैसला करता है।
- विशेषाधिकार हनन से जुड़े मामलों को सदन में उठाने के लिए सभापति की मंजूरी जरूरी होती है.
- संसदीय समितियाँ सभापति के निर्देशन में कार्य करती हैं, चाहे उन्हें सभापति द्वारा नियुक्त किया गया हो या सदन द्वारा।
- अध्यक्ष विभिन्न समितियों में सदस्यों की नियुक्ति करता है और व्यवसाय सलाहकार समिति और नियम समिति जैसी प्रमुख समितियों की अध्यक्षता करता है।
- सभापति अंतिम अधिकार के साथ संविधान और सदन से संबंधित नियमों की व्याख्या करता है।

अध्यक्ष को हटाना:

- सभापति को उपराष्ट्रपति के पद से हटाए जाने पर ही हटाया जा सकता है।
- पद से हटाने के प्रस्ताव के दौरान सभापति राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं कर सकते लेकिन सदस्य बने रह सकते हैं।
- उन्हें सदन में प्रभावी बहुमत से हटा दिया जाता है।

अभियोजन पक्ष से लेकर विधायकों तक को छूट

सन्दर्भ: सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा है जहां एक विधायक अपने खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोप पत्र को रद्द करने की मांग कर रही हैं क्योंकि उसे अनुच्छेद 194(2) के तहत सुरक्षा प्राप्त है।

- झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) की सदस्य सीता सोरेन पर 2012 के राज्यसभा चुनाव के दौरान एक विशिष्ट उम्मीदवार को वोट देने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था।
- भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के पास एक शिकायत दर्ज की गई, जिसमें मामले की सीबीआई जांच का आग्रह किया गया है।
- केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बाद में सोरेन के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, जिसमें उन्हें रिश्वतखोरी और आपराधिक साजिश सहित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत विभिन्न अपराधों में शामिल किया गया।
- सीता सोरेन ने संविधान के अनुच्छेद 194(2) के तहत छूट का हवाला देते हुए अपने खिलाफ आरोप पत्र और आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की।
- आरोपों को रद्द करने की उनकी याचिका को 2014 में झारखंड उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।
- नतीजतन, सोरेन ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की ।

संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को विशेषाधिकार

- **विशेषाधिकार की परिभाषा:**
  - विशेषाधिकार में संसद के दोनों सदनों, राज्य विधानमंडलों, उनकी समितियों और सदस्यों को प्राप्त विशेष अधिकार, उन्मुक्तियाँ और छूट शामिल हैं।
  - ये विशेषाधिकार सदन की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने के हकदार व्यक्तियों, जैसे भारत के अटॉर्नी जनरल, को भी दिए जाते हैं।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 क्रमशः संसद सदस्यों (सांसदों) और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों (विधायकों) को विशेषाधिकार और लाभ प्रदान करते हैं।
  - इन शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों की प्रकृति और दायरे को समय-समय पर कानून द्वारा परिभाषित किया जाता है।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

- इन विशेषाधिकारों को विशेष प्रावधानों के रूप में माना जाता है और संघर्ष की स्थिति में ये सर्वोपरि अधिकार रखते हैं।
- विशेष रूप से, ये विशेषाधिकार राष्ट्रपति (या राज्यपाल) तक विस्तारित नहीं होते हैं जो संसद (या राज्य विधानमंडल) का अभिन्न अंग हैं।

➢ **संविधान में उल्लिखित विशेषाधिकार:**

- अनुच्छेद 105(1) के तहत सांसदों को बोलने की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है।
- अनुच्छेद 105(2) यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी सांसद को संसद या उसकी समितियों में दिए गए बयानों या वोटों के लिए अदालत में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
- इसी तरह, किसी भी व्यक्ति को संसद या उसके अधिकारियों द्वारा अधिकृत रिपोर्ट, कागजात, वोट या कार्यवाही प्रकाशित करने के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है।
- किसी राज्य के विधायकों के लिए अनुच्छेद 194 के तहत समानांतर प्रावधान मौजूद हैं।

➢ **विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का उद्देश्य:**

- ये विशेषाधिकार सांसदों और विधायकों को बिना किसी बाधा के अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए दिए जाते हैं, जो लोकतंत्र के कामकाज के लिए आवश्यक है।
- इन विशेषाधिकारों के बिना, सदन अपने अधिकार, गरिमा और सम्मान को बनाए नहीं रख सकते हैं, न ही वे अपने सदस्यों को उनकी संसदीय जिम्मेदारियों को पूरा करने में बाधाओं से बचा सकते हैं।

➢ **अनुच्छेद 19 से अंतर:**

- अनुच्छेद 19(1)(क) और अनुच्छेद 105 दोनों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संबोधित करते हैं।
- अनुच्छेद 105 सांसदों को बिना किसी उचित प्रतिबंध के पूर्ण विशेषाधिकार प्रदान करता है, लेकिन यह केवल संसदीय परिसर के भीतर ही लागू होता है।
- अनुच्छेद 19(1)(क) नागरिकों से संबंधित है और उचित प्रतिबंधों के अधीन है, जिसका अर्थ है कि यह संसद के बाहर और व्यक्तियों के व्यापक समूह पर लागू होता है।

डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023

सन्दर्भ: डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत ने 121 देशों में 52 वां स्थान प्राप्त किया है।

➢ नीदरलैंड स्थित एक फर्म द्वारा आयोजित डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण, पांच कारकों के आधार पर 121 देशों की रैंकिंग तैयार करता है: इंटरनेट गुणवत्ता, इंटरनेट सामर्थ्य, ई-बुनियादी ढांचा, ई-सरकार और ई-सुरक्षा।

➢ इस सर्वेक्षण में भारत पिछले वर्ष के 59वें स्थान से सुधार करते हुए इस वर्ष 52वें स्थान पर पहुंच गया है।

➢ भारत की रैंकिंग में उछाल का श्रेय मुख्य रूप से इंटरनेट गुणवत्ता में सुधार को दिया जाता है, जहां अब यह विश्व स्तर पर 16वें स्थान पर है।

➢ ई-इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत सर्वेक्षण में शामिल देशों में 91वें स्थान पर है।

➢ भारत इंटरनेट सामर्थ्य में 28वें, ई-गवर्नेंस में 25वें और ई-सुरक्षा में 66 वें स्थान पर है।

➢ सिंगापुर और सऊदी अरब क्रमशः 300 एमबीपीएस और 310 एमबीपीएस के साथ औसत इंटरनेट स्पीड में शीर्ष स्थान पर हैं।

➢ हालांकि भारत में सबसे तेज़ इंटरनेट नहीं हो सकता है, लेकिन यह अपनी इंटरनेट स्थिरता के लिए जाना जाता है।

➢ देश में मोबाइल इंटरनेट स्पीड में 297% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसका मुख्य कारण व्यापक रूप से 5G रोलआउट है। साथ ही फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड में 16% की वृद्धि हुई है।

➢ इस प्रकार भारत को बेहतर इंटरनेट सामर्थ्य वाला देश माना जाता है। एक निश्चित ब्रॉडबैंड लाइन का खर्च उठाने के लिए, भारतीयों को प्रति माह 1 घंटा और 48 मिनट काम करना पड़ता है, जबकि मोबाइल इंटरनेट तक पहुंच के लिए उन्हें 44 मिनट और 22 सेकंड का काम करना पड़ता है।

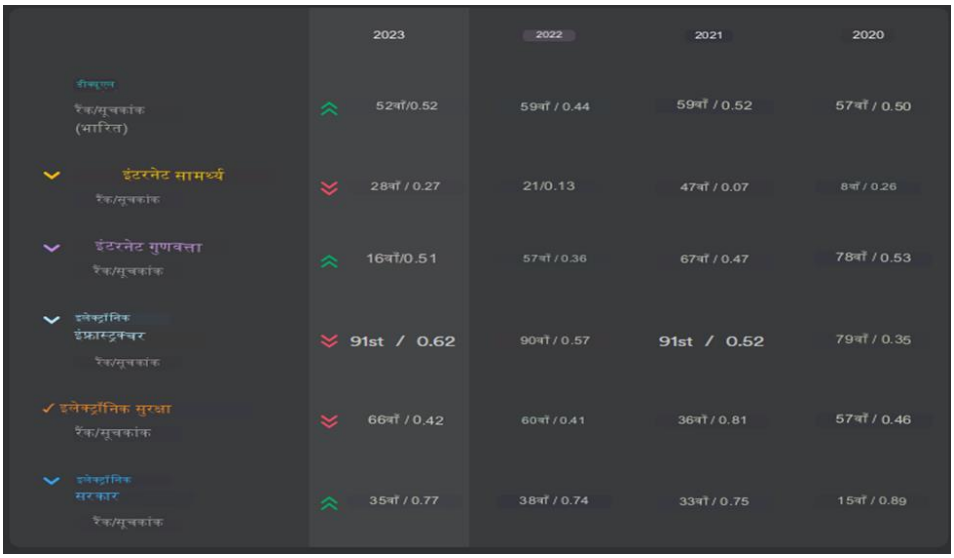

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

22 September, 2023

NEWS IN BETWEEN THE LINES

गर्नार्ड मछली (Gurnard Fish)

हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (**Zoological Survey of India -ZSI)** के वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल के दीघा मोहना में गहरे पानी की समुद्री मछली (गर्नार्ड) की एक नई प्रजाति की खोज की है।

सामान्य नाम: गर्नार्ड मछली, जिसे "गुर्नार्ड" या "सी-रॉबिन" भी कहा जाता है।

परिवार: ये ट्राइग्लिडे परिवार से संबंधित है।

विशिष्ट विशेषताएं: इसे अपने बड़े पेक्टोरल पंख, बख्तरबंद सिर और पंखों के समान पेक्टोरल पंख पर रीढ़ के लिए पहचाना जाता है।

पर्यावास: यह प्रायः गहरे समुद्री वातावरण में पाई जाती है।

आहार: ये शिकारी मछली, छोटी मछलियों, क्रस्टेशियंस और अन्य समुद्री जीवों को खाती है।

वितरण: यह विश्व स्तर पर विभिन्न महासागरों में वितरित है।

अनुकूलन: अपनी लंबी ऑपेरकुलर रीढ़ और विशिष्ट पंख पैटर्न जैसी विशेषताओं के साथ गहरे समुद्र के जीवन के लिए अनुकूलित।

रंगाई: यह रंगों की एक श्रृंखला प्रदर्शित करती है,जबकि कुछ प्रजातियाँ नारंगी और लाल जैसे जीवंत रंगों को प्रदर्शित करती हैं।

एआई चैटबॉट

हाल ही में, भारत सरकार के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के लिए एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया है।

पहला एकीकरण: यह केंद्र सरकार की एक प्रमुख फ्लैगशिप योजना के साथ एकीकृत पहला एआई चैटबॉट है।

उद्देश्य: एआई चैटबॉट का उद्देश्य किसानों के प्रश्नों का त्वरित, स्पष्ट और सटीक उत्तर प्रदान करना है, जिससे उन्हें योजना की जानकारी तक पहुंचने और शिकायतों का समाधान करने में सक्षम बनाया जा सके।

विस्तारित सेवाएँ: केंद्रीय मंत्री ने मौसम की जानकारी, मिट्टी की स्थिति और बैंक भुगतान जैसे अन्य संबंधित मुद्दों को शामिल करने के लिए सेवा को व्यापक बनाने की क्षमता पर जोर दिया है।

पीएम-किसान योजना: पीएम-किसान फरवरी 2019 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से पात्र भूमि धारक किसानों के परिवारों को वार्षिक वित्तीय लाभ प्रदान करती है।

धातु-खनन

धातु खनन क्या है?

धातु खनन विभिन्न औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भू-पर्पटी (Earth's crust) से धात्विक खनिजों और अयस्कों को निकालने की प्रक्रिया है।

धातुओं के प्रकार: धातुओं में कीमती (जैसे, सोना, चांदी), आधारभूत (जैसे, तांबा, जस्ता), और रणनीतिक (जैसे, लिथियम, दुर्लभ पृथ्वी तत्व) तत्व शामिल हैं।

खनन के तरीके: खनन तकनीकों में सतही (खुले गड्ढे) और भूमिगत खनन शामिल हैं।

आर्थिक महत्व: खनन रोजगार और सरकारी राजस्व में योगदान देता है।

नवीकरणीय ऊर्जा धातुएँ: लिथियम जैसी धातुएँ नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आवश्यक हैं।

पर्यावरणीय प्रभाव: खनन आवास व्यवधान, जल प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण के माध्यम से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है।

प्रदूषण: खनन से भारी धातु प्रदूषक, अम्लीय जल निकासी और रासायनिक अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं।

धातु खनन क्षेत्र:

कुछ उदाहरणों में तांबे के खनन के लिए एंडीज़ पर्वत व जाम्बिया, सोने के खनन के लिए दक्षिण अफ्रीका व नेवादा और लौह अयस्क के खनन के लिए ऑस्ट्रेलिया में पिलबारा क्षेत्र शामिल हैं।

पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम

पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम क्या है?

पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (Polycystic Ovary Syndrome -PCOS), एक सामान्य हार्मोनल विकार है जो अंडाशय वाले व्यक्तियों, विशेषकर प्रजनन आयु की महिलाओं को प्रभावित करता है।

डिम्बग्रंथि सिस्ट (Ovarian Cysts): पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (पीसीओएस) की विशेषता अंडाशय पर कई छोटे सिस्ट की उपस्थिति है, जो ऐसे रोम हैं जो ठीक से परिपक्व नहीं हुए हैं।

हार्मोनल असंतुलन: पीसीओएस हार्मोनल असंतुलन से जुड़ा विकार है, जिसमें एण्ड्रोजन (पुरुष हार्मोन) का ऊंचा स्तर और इंसुलिन प्रतिरोध शामिल है।

लक्षण: पीसीओएस के सामान्य लक्षणों में अनियमित मासिक धर्म, अत्यधिक बालों का बढ़ना (हिर्सुटिज़्म), मुँहासे और वजन बढ़ना शामिल हैं।

प्रजनन क्षमता: पीसीओएस अनियमित ओव्यूलेशन (**irregular ovulation**) या ओव्यूलेशन की कमी के कारण महिलाओं में बांझपन का एक प्रमुख कारण है।

मेटाबोलिक प्रभाव: पीसीओएस मोटापा, इंसुलिन प्रतिरोध ,टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोग के बढ़ते जोखिम जैसे मेटाबोलिक कारकों से जुड़ा हुआ है।

न्यू पंबन ब्रिज

न्यू पंबन ब्रिज (New Pamban Bridge)के बारे में:

- भारत के तमिलनाडु में नया पंबन रेलवे समुद्री पुल निर्माणाधीन है।
- यह मुख्य भूमि पर मंडपम शहर (**Mandapam town**) को पंबन द्वीप पर रामेश्वरम से जोड़ता है।
- इस पुल का निर्माण 2019 में शुरू हुआ, परन्तु इस परियोजना को विलम्ब का सामना करना पड़ा।
- पुल में 99 क्षैतिज स्पैन (**horizontal spans** हैं, जिनमें से 73 स्पैन पहले ही बिछाए जा चुके हैं।
- 72.5 मीटर का एक स्पैन है जो एक "लिफ्ट-स्पैन" है, जिसे जहाजों को ऊपर उठाने और गुजरने की अनुमति देने के लिए निर्मित किया गया है।
- यह परियोजना रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा शुरू की जा रही है और इसका बजट ₹545 करोड़ है।
- नए पंबन रेलवे समुद्री पुल (2.05 किमी) का उद्देश्य पुराने पंबन पुल को प्रतिस्थापित करना है, जिसका उपयोग एक शताब्दी से अधिक समय से किया जा रहा है।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

22 September, 2023

उच्च रक्तचाप का वैश्विक प्रभाव

हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उच्च रक्तचाप पर अपनी पहली रिपोर्ट में बताया कि दुनिया भर में तीन में से एक वयस्क उच्च रक्तचाप से पीड़ित है, जो सभी आयु समूहों और क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है।

उच्च रक्तचाप के बारे में?

- उच्च रक्तचाप (उच्च रक्तचाप) को **"साइलेंट किलर"** के रूप में जाना जाता है।
- इससे स्ट्रोक, दिल का दौरा, गुर्दे की क्षति और दिल की विफलता जैसी गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं।
- उच्च रक्तचाप के मामले 650 मिलियन (1990) से दोगुने होकर 1.3 बिलियन (2019) हो गए, जिनमें से लगभग आधे का निदान ही नहीं हो पाया।
- लगभग 80% का अपर्याप्त इलाज किया जाता है, जो बेहतर स्वास्थ्य देखभाल पहुंच और जागरूकता की आवश्यकता पर बल देता है।
- सीमित जागरूकता और स्वास्थ्य देखभाल पहुंच के कारण उच्च रक्तचाप बढ़ रहा है, विशेष रूप से युवाओं और कम सुविधा प्राप्त लोगों में।
- उच्च रक्तचाप के केवल 22.5% मामले ही नियंत्रण में हैं (2016-2020)।
- WHO उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए आहार और शारीरिक गतिविधि सहित स्वस्थ जीवन शैली की अपनाने का सुझाव देता है।

समाचारों में स्थान

यूक्रेन

राजधानी: कीव

स्थान: यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित है और बेलारूस, रूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और माल्डोवा सहित कई देशों के साथ सीमा साझा करता है।

भौगोलिक विशेषतायें:

प्रमुख नदियाँ: यूक्रेन से होकर दो प्रमुख नदियाँ बहती हैं, अर्थात् डेन्यूब और नीपर नदी।

समुद्र तक पहुँच: यूक्रेन की दो प्रमुख समुद्री निकायों तक पहुँच है: दक्षिण में काला सागर और दक्षिण-पूर्व में आज़ोव सागर।

सबसे ऊँची चोटी: यूक्रेन की सबसे ऊँची चोटी माउंट होवरला है, जो कार्पेथियन पर्वत का हिस्सा है।

संघर्ष क्षेत्र: यूक्रेन ने राजनीतिक और क्षेत्रीय संघर्षों का अनुभव किया है, जिसमें रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्ज़ा और पूर्वी यूक्रेन में चल रहा संघर्ष शामिल है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध: यूक्रेन ने पश्चिमी संस्थानों के साथ घनिष्ठ संबंधों की मांग की है, जिसमें यूरोपीय संघ और नाटो जैसे संगठनों में सदस्यता की मांग भी शामिल हैं।

समाचार में व्यक्तित्व

सरोजा वैद्यनाथन

सरोजा वैद्यनाथन (19 सितंबर 1937-21 सितंबर 2023)

सरोजा वैद्यनाथन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थीं जो भरतनाट्यम के लिए जानी जाती थीं।

योगदान:

- सरोजा वैद्यनाथन को भरतनाट्यम और कर्नाटक संगीत में उनके व्यापक योगदान के लिए जाना जाता था।
- उन्होंने 10 फुल-लेंथ बैले (ballets) बनाए।
- उन्होंने लगभग 2,000 नृत्य रचनाओं की कोरियोग्राफी की।

पुरस्कार और सम्मान :

- **पद्म श्री (2002):** नृत्य के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया।
- **पद्म भूषण (2013)**: नृत्य और संस्कृति के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक से सम्मानित किया गया।

विरासत: उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी, नई दिल्ली में स्थित शास्त्रीय नृत्य विद्यालय, गणेश नाट्यालय के माध्यम से एक महत्वपूर्ण विरासत छोड़ी है।

POINTS TO PONDER

- **हाल ही में विप्रो लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?** - अपर्णा सी. आईये (Aparna C. Iye)
- **भारत में कौन से अनुच्छेद परिसीमन से संबंधित हैं?** - अनुच्छेद 81, 170, 330 और 332
- **SIMBEX पहली बार कब आयोजित किया गया था?** -1994
- **सुप्रा थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर (STEPS) में कितने सेंसर होते हैं, और वे क्या मापते हैं?** - छह; आयनों को
- **नुआखाई जुहार त्यौहार किन क्षेत्रों में मनाया जाता है?** - पश्चिमी ओडिशा और झारखंड के सिमडेगा में

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com